विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष एम.डी. बड़गैया

सदस्य निमिष परमार)

प्रकरण क्रमांक / 14 / 2026

सस्थित दिनांक 07.05.2026

श्री रमेश कुमार तिवारी, ...परिवादी

47, परमानंद नगर, महोबा बाजार,

जिला रायपुर (छ.ग.)

मोबाईल नं. : 98279–36871

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (उत्तर), ...उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

आदेश

(दिनांक 23 / 06 / 2026 को पारित)

परिवादी की सेवानिवृत्ति पश्चात उसके विद्युत देयक में दी गयी अतिरिक्त विभागीय छूट (25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत) की राशि को वसूल किए जाने के लिए उत्तरवादी द्वारा प्रेषित राशि रू. 19060.00 के मांग पत्र को निरस्त किए जाने हेतु परिवादी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. परमानंद नगर, महोबा बाजार रायपुर स्थित परिवादी के परिसर में घरेलू उपयोग हेतु 5.0 कि.वा. भार का विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1002000444 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया है ।

ख. उत्तरवादी के नियमित कर्मचारियों के लिए अपने विद्युत देयक में 50 प्रतिशत विभागीय छूट प्राप्त किए जाने एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 25 प्रतिशत की विभागीय छूट प्राप्त किए जाने का विकल्प विभागीय नियमों के अनुसार है ।

ग. उत्तरवादी द्वारा परिवादी को, उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात, उसके विद्युत देयक में, माह जुलाई 2022 से माह नवंबर 2025 तक की अवधि में निर्धारित 25 प्रतिशत की विभागीय छूट के स्थान पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती रही थी ।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद / शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

उत्तरवादी द्वारा लंबी अवधि तक विद्युत देयक में प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट की राशि को बिना किसी पूर्व सूचना के नियमित देयक मे जोड़कर वसूल किए जाने दिए जाने की कार्यवाही को परिवादी द्वारा नियम विरूद्ध एवं मांग पत्र राशि को विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) के अनुसार वसूली योग्य नहीं होना बताया गया है । परिवादी द्वारा प्रश्नगत अवधि में प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट राशि को शासन द्वारा दी जाने वाली बिजली बिल हाफ योजना के लाभ से समायोजित करते हुए मात्र अंतर राशि का मांग पत्र जारी किए जाने की मांग की गयी है । परिवादी द्वारा अतिरिक्त विभागीय छूट राशि को किश्तों में जमा किये जाने की सुविधा प्रदान किए जाने का भी निवेदन फोरम के समक्ष किया गया है ।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 104 दिनांक 13.05.2026 के माध्यक से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी द्वारा न ही अपनी सेवानिवृत्ति के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी संबंधित जोन कार्यालय में प्रस्तुत की गयी और न ही यह बताया गया कि वह विभागीय छूट का लाभ लेना चाहता है या सामान्य उपभोक्ता की तरह शासन की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ लेना चाहता है । परिवादी द्वारा अपने विद्युत देयक में विभागीय छूट के संबंध में कोई आवेदन/आप्शन फार्म जमा न करने की स्थिति में पूर्व से चली आ रही विभागीय छूट सेवानिवृत्ति पश्चात भी जारी रही । माह जुलाई 2022 से माह नवंबर 2025 तक की अवधि में प्रदायित अतिरिक्त छूट राशि की गणना कर राशि रू. 18347.22, परिवादी के देयक में दिनांक 26.03.2026 को जोड़ दी गयी है जो कि नियमानुसार है ।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उद्भूत होते है –

(i) क्या परिवादी के देयक में विभागीय अतिरिक्त छूट की राशि को जोडे जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही नियमानुसार है ।

(ii) क्या विभागीय अतिरिक्त छूट की राशि विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) के अनुसार वसूली योग्य नहीं है ।

(iii) क्या परिवादी, शासन की बिजली हाफ योजना का लाभ भूतलक्षी प्रभाव से प्राप्त करने का अधिकारी है ।

(iv) यदि परिवादी को प्रदायित विभागीय अतिरिक्त छूट के लिए मात्र उत्तरवादी जिम्मेदार है । यदि है, तो क्या इस आधार पर अतिरिक्त छूट राशि निरस्त किए जाने योग्य है ।

(v) क्या परिवादी को, उसे प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट की राशि के भुगतान के लिए किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायसंगत होगा ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

6. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उत्तरवादी द्वारा उसके देयक में बिना किसी पूर्व सूचना के अतिरिक्त राशि रू. 19060.00 जोड़कर प्रेषित कर दी गयी जो कि नियम विरूद्ध है । उत्तरवादी द्वारा परिवादी के इस तर्क के खंडन में कोई दस्तावेज अथवा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे परिवादी के देयक में अतिरिक्त राशि का नियमानुसार जोडा जाना दर्शित होता हो ।

सप्लाई कोड 2011 की कंडिका 9.26 एवं 9.27 यथा –

9.26 Separate (supplementary) bills shall be issued for audit recovery and recoveries other than the regular monthly bill except for demand of additional security deposit.

9.27 While issuing the supplementary bill (for other than cases related to prejudicial use of energy) to the consumer the licensee along with the supplementary bill shall send a written details to the consumer explaining the reason, basis and period of such billing by giving fifteen days time for payment.

The consumer may accept the bill and deposit the amount of supplementary bill. In case of non payment within due date the amount of supplementary bill liable to be added in next months regular monthly bill.

के अनुसार पूरक देयक प्रेषित किए जाने के साथ ही उपभोक्ता को पूरक देयक राशि की मांग का कारण, बिलिंग की अवधि एवं बिलिंग का लिखित विवरण भी प्रेषित किया जाना है । निर्धारित अवधि में उपभोक्ता द्वारा भुगतान न किए जाने की स्थिति में ही उक्त पूरक देयक राशि को नियमित मासिक देयक में जोडा जाना है । उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से इस प्रकिया का पालन नहीं किया जाना दर्शित होता है अतः उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि परिवादी के देयक में बिना पूर्व सूचना के

अतिरिक्त राशि जोडे जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही सप्लाई कोड के प्रावधानों के अनुसार नहीं है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

7. परिवादी के अनुसार विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) के अनुसार कोई भी राशि दो वर्ष के बाद वसूली योग्य नहीं रह जाती है अतः उत्तरवादी द्वारा देयक में जोडी गयी अतिरिक्त राशि वसूली योग्य न होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है । उत्तरवादी द्वारा इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है ।

फोरम के अनुसार विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) में, किसी राशि को उसके प्रथम बार बकाया होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि में राशि वसूल न किए जाने की स्थिति में उस राशि के वसूली योग्य नहीं रह जाने का प्रावधान किया गया है । अवगत हो कि कोई भी राशि प्रथम बार तब बकाया बनती है जब उस राशि का मांग पत्र उत्तरवादी द्वारा प्रेषित किया जाता है । इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 7235/2009, प्रकरण मेसर्स प्रेम कोटेक्स विरूद्ध उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में घोषित निर्णय दिनांक 05.10.2021 की कंडिका 12 के अंश यथा –

"Though the liability to pay arises on the consumption of electricity, the obligation to pay would arise only when the bill is raised by the licensee and that, therefore, **electricity charges would become first due only after the bill is issued**, even though the liability would have arisen on consumption."

प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम बार देयक जारी किए जाने एवं उसके बकाया होने की तिथि दिनांक 26.03.2026 (सैप सिस्टम में अतिरिक्त राशि जोडे जाने की तिथि) है । इस तिथि से ही दो वर्ष की परिसीमन अवधि प्रारंभ होती है । इस प्रकरण में उक्त परिसीमन अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है अतः उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) के आधार पर अतिरिक्त विभागीय छूट की राशि को कालबाधित मानते हुए निरस्त किए जाने का परिवादी का दावा सही नहीं है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक (iii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

8. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि सेवानिवृत्ति पश्चात एक सामान्य उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली शासन की हाफ बिजली बिल योजना का लाभ उत्तरवादी द्वारा प्रदान नहीं किया गया । परिवादी द्वारा मांग की गयी है कि सेवानिवृत्ति पश्चात की अवधि के लिए उत्तरवादी द्वारा प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जयपुर (शहर)

का समायोजन उक्त बिजली बिल हाफ योजना की छूट से करते हुए मात्र अंतर राशि की वसूली की जाए । उत्तरवादी द्वारा अपने जवाबदावा में लेख किया गया है कि परिवादी द्वारा बिजली बिल हाफ योजना की छूट लेने के संबंध में कोई आवेदन/आप्शन फार्म जमा नहीं किया गया अतः शासन की उक्त योजना का लाभ उसे नहीं दिया गया । किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात विभागीय छूट एवं शासन की बिजली बिल हाफ योजना की छूट के मध्य किसी एक का चुनाव किए जाने का विकल्प है लेकिन परिवादी द्वारा कोई विकल्प पत्र उत्तरवादी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया । परिवादी द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में उत्तरवादी द्वारा उसकी विभागीय को 50 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत मानते हुए मांग पत्र राशि की गणना की गयी है ।

फोरम के अनुसार परिवादी द्वारा शासन की हाफ बिजली बिल योजना का लाभ प्राप्त करने के संबंध में आवेदन/विकल्प उत्तरवादी के समक्ष पूर्व में कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि चूंकि शासन की बिजली बिल हाफ योजना के लिए राशि, राज्य शासन द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को उसके द्वारा इस संबंध में किए जाने वाली मांग (claim) के आधार पर प्रदान की जाती है अतः शासन की योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत वर्तमान आवेदन के आधार पर, प्रश्नगत अवधि (जुलाई 2022 से माह नवंबर 2025) को कालबाधित अवधि मानते हुए, भूतलक्षी प्रभाव से बिजली बिल हाफ योजना की छूट दिये जाने की परिवादी की मांग को फोरम स्वीकार किए जाने योग्य नहीं मानता है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (iv) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

9. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि मुख्य अभियंता (EITC) द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26.03.2014 में कर्मचारियों को प्रदत्त विभागीय छूट की विसंगतियों को सुधारने का निर्देश दिया गया था लेकिन उत्तरवादी के मैदानी अधिकारियों द्वारा इस पत्र के अनुपालन में बरती गयी लापरवाही के कारण उन्हें सेवानिवृत्ति प्रश्चात प्रदत्त विभागीय छूट में नियमानुसार परिवर्तन नहीं किया गया ।

अवगत हो कि परिवादी द्वारा संदर्भित पत्र में मुख्य अभियंता (EITC) द्वारा बिलिंग सिस्टम में कर्मचारियों का कर्मचारी क्रमांक दर्ज न होने से होने वाली संभावित त्रुटियों, जिसमें विभागीय छूट की विसंगति भी शामिल है, का उल्लेख करते हुए बिलिंग सिस्टम में अनिवार्य रूप से कर्मचारी क्रमांक दर्ज करने का निर्देश दिया था । उत्तरवादी के अनुसार परिवादी द्वारा कनेक्शन में विभागीय छूट प्राप्त किए जाने की तिथि से ही बिलिंग सिस्टम में उनका कर्मचारी क्रमांक दर्ज है ।

यह सही है कि उत्तरवादी द्वारा परिवादी की सेवानिवृत्ति का स्वतः संज्ञान न लेते हुए सेवानिवृत्ति पश्चात उसे दी जाने वाली विभागीय छूट में परिवर्तन नहीं किया गया लेकिन प्ररिवादी भी अपनी सेवानिवृत्ति की जानकारी के साथ अपने देयक में प्रदान की जा रही विभागीय छूट को 50 प्रतिशत से 25 प्रतिशत किए जाने का तथ्य उत्तरवादी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता है । उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि परिवादी की सेवानिवृत्ति पश्चात भी 50 प्रतिशत विभागीय छूट के जारी रहने के लिए दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं एवं विभागीय छूट के रूप में परिवादी द्वारा प्राप्त की गयी अतिरिक्त राशि मात्र इस आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती है कि वह विभागीय लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (v) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

10. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में यह लेख किया गया है कि विभागीय लापरवाही के कारण उत्पन्न अतिरिक्त छूट राशि का भुगतान किश्तों में किए जाने की सुविधा प्रदान की जाए । प्रकरण के विवेचन से स्पष्ट है कि उत्तरवादी द्वारा लंबी अवधि (जुलाई 2022 से माह नवंबर 2025) के दौरान परिवादी को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रदत्त अतिरिक्त छूट की गणना करते हुए पूरक देयक राशि का निर्धारण किया गया है । इतनी लंबी अवधि के लिए गणना की गयी राशि के एकमुश्त भुगतान का दायित्व परिवादी पर डालना न्यायसंगत नहीं है । उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है उत्तरवादी द्वारा परिवादी को यथोचित किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायसंगत होगा ।

11. संपूर्ण विचारणीय प्रश्नों की विवेचना और उनके निष्कर्ष के उपरांत हम यह पाते हैं कि परिवादी को प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट संबंधी पूरक देयक राशि निरस्त किए जाने योग्य नहीं है ।

12. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत मैं यह पाता हूं कि परिवादी अपना मामला साबित करने में आंशिक रूप से सफल रहा है । अस्तु प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है –

1. फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि परिवादी के देयक में बिना उचित प्रकिया का पालन करते हुए जोडी गयी अतिरिक्त राशि को देयक से पृथक किया जाना एवं उक्त राशि जोड़े जाने से देयक में लगने वाले अधिभार को निरस्त किया जाना सुनिश्चित करें ।

2. परिवादी को भूतलक्षी प्रभाव से शासन की हाफ बिजली बिल योजना का लाभ दिया जाना संभव नहीं है ।

3. परिवादी को उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट की राशि को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अनुसार कालबाधित नहीं माना जा सकता है अतः आवेदक को प्रेषित पूरक देयक राशि सही एवं परिवादी द्वारा भुगतान योग्य है । परिवादी को बकाया राशि के भुगतान हेतु 6 समान मासिक किश्तों की सुविधा प्रदान करें एवं बकाया राशि पर किसी तरह का सरचार्ज न लगाया जावे । किश्तो के भुगतान में असफल रहने पर उस माह की बकाया राशि पर ही सरचार्ज लगाया जावे ।

13. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

(निमिष परमार)
सदस्य

आदेश पारित किया गया

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष